न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2024 G.C.M.S. No. 2024/30 दर्ज दिनांक : 21.02.2024

अपीलार्थी

1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, सिरोही जरिये जिला शिक्षा अधिकारी हीरालाल माली, मुख्यालय प्रारंभिक, सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हिरीदेवी पुत्री अचला पत्नि छगन जाति कोली, उम्र 50 वर्ष, निवासी छोटा भीलडा, तहसील रेवदर जिला सिरोही।
2. रेशमा पुत्री अचला पत्नि जगसी जाति कोली, उम्र 62 वर्ष, निवासी छोटा भीलडा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
3. ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
4. ग्राम सहकारी समिति वासन तहसील रेवदर जिला सिरोही।
5. सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2007 बअनवान हिरी वगैरह बनाम ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. सरकारी पैरोकार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 30.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2007 बअनवान हिरी वगैरह बनाम ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण (रेस्पोंडेन्ट क्रमांक 1 व 2) श्रीमती हिरी व श्रीमती रेशम के पिता अचला पुत्र मालाजी कोली निवासी वासन द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 606 रकबा 6 बीघा बिस्वा ग्राम–वासन पटवार हल्का वासन तहसील – रेवदर की सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण (रेस्पोंडेन्ट क्रमांक 3) ग्राम पंचायत वासन को गिफ्ट कर उसका कब्जा मौके पर भौतिक रूप से सुपुर्द किया था। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच मोतीराम कोली द्वारा इस गिफ्ट में प्राप्त भूमि को बाउन्डरी वॉल से सुरक्षित करवाया गया था। उक्त सशर्त गिफ्ट अनुसार बालक–बालिकाओं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के शिक्षा एवं संस्कार हेतु भुमि निःशुल्क दी गई थीं। शेष विभागीय कार्यालयों के लिये उपयोग में ली जाने वाली भूमि की बाजार दर प्रतिवादीगण (रेस्पोंडेन्ट क्रमांक 3 व 4) द्वारा प्रतिवादीगण (रेस्पोंडेन्ट क्रमांक –1 व 2) के पिता अचला पुत्र मालाजी कोली निवासी वासन को दी जानी थीं। किन्तु उक्त राशि का भुगतान (रेस्पोंडेन्ट क्रमांक 1 व 2) द्वारा अचलाराम कोली को उसके जीवनकाल में नहीं होने एवं राजस्व रेकर्ड में अचला पुत्र मालाजी कोली निवासी वासन की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान (रेस्पोंडेन्ट क्रमांक –1 व 2) श्रीमती हिरी व श्रीमती रेशम का नाम दर्ज होने पर उनके द्वारा केवल मात्र बाजार दर का भुगतान नही किये जाने का कथन करते हुये उक्त वाद श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अचला पुत्र मालाजी कोली निवासी वासन द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी का कब्जा गिफ्ट अनुसार ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच तहसील रेवदर जिला–सिरोही को विधिवत सुपुर्द किया गया था। ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच तहसील रेवदर जिला–सिरोही द्वारा बालक–बालिकाओं के शिक्षा एवं संस्कार हेतु भुमि का कब्जा विधिवत् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, सिरोही जरिये जिला शिक्षा अधिकारी को सुपुर्द किया था। ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच तहसील रेवदर जिला–सिरोही द्वारा पत्रांकः /99/78 दिनांक 22.02.1999 द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था कि राज्य सरकार विद्यालय के लिये विद्यालय की सम्पत्ति घोषित करती हैं तो ग्राम पंचायत वासन को कोई आपत्ति नहीं हैं। इस तरह कार्यालय ग्राम पंचायत वासन द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन परिसर हेतु उक्त भूमि विद्यालय सस्थान को नियमानुसार सुपुर्द की थीं। अपीलार्थी वादग्रस्त सम्पत्ति में बतौर अतिकमी नही है। माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि में बतौर अतिकमी मानते हुये उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश सर्वथा गलत, मिथ्या व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित पारित किया है। अपीलार्थी वादगस्त भूमि में बतौर अतिक्रमी नहीं होकर वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा विधिक कब्जा है। अचला पुत्र मालाजी कोली निवासी वासन की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान (रेस्पोंडेन्ट क्रमांक 1 व 2) श्रीमती हिरी व श्रीमती रेशम रेस्पोंडेन्ट क्रमांक 3 ग्राम पंचायत वासन व 4 ग्राम सहकारी समिति वासन से उनके उपयोग की भूमि का बाजार मूल्य प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु उनके द्वारा विद्यालय परिसर व उसकी भूमि का कथन अपने वाद में सर्वथा गलत रूप से दर्ज किया है। वादग्रस्त भूमि जो विद्यालय परिसर व विद्यालय मैदान हेतु सुरक्षित है जिसे अवाप्त कर नियमित किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर महोदय, सिरोही सक्षम अधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिकारों की समुचित सुरक्षा हेतु न्याय हित में इस जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। कार्यालय ग्राम पंचायत वासन द्वारा अपीलार्थी को बालक–बालिकाओं के शिक्षा एवं संस्कार हेतु भूमि उपलब्ध करवाये जाने एवं एनओसी जारी किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने भारी व्यय कर वहां पर विद्यालय भवन सीनीयर सैकण्डरी स्तर तक के निर्माण कार्य व आवश्यक सुविधा करवाई हैं। यदि इस प्रकरण में उसे जवाब सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाता है तो उसके साथ भारी अन्याय होगा एवं भारी राजस्व की हानि होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता। मौके पर सीनियर सैकण्डरी राजकीय विद्यालय में वर्तमान में 312 की संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिन्हें बेदखल किया जाता है तो उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिससे से भी मातहत न्यायालय के आदेश दिनांक 01.01.2009 को निरस्त किया जाकर मूल वाद में अपीलार्थी को जवाब सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में बेदखली बाबत वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.01.2009 को वादपत्र निर्णित व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा केवल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सिरोही को बतौर पक्षकार जोड़ा गया था। किंतु इसकी अनुपालना में दायर इजराय प्रकरण संख्या 01/2020 में अप्रार्थी क्रमांक 1 से 4 को भी जोड़ा गया। जिनके विरूद्ध किसी तरह का आदेश प्रभाव में नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 जो इजराय प्रकरण में जोड़े गए हैं, प्रकरण के समुचित निस्तारण हेतु आवश्यक पक्षकार है। जो मूल वाद के पक्षकार नहीं हैं। जिन्हें वादीगण द्वारा बदनियतीपूर्वक पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं जोड़ा गया है। अपीलांट राजकीय कार्यालय में जिसके अधीन जिले में कई राजकीय विद्यालयों का संचालन होता है तथा स्थानीय राजकीय विद्यालय को पक्षकार संयोजित नहीं करने से प्रकरण की समुचित जानकारी विभाग को नहीं हो सकी तथा मूल वाद में अपना पक्ष नहीं रख सकें। मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 01.01.2009 की पालना में दायर इजराय प्रकरण में प्रथम बार बतौर पक्षकार जोड़े जाने से प्रकरण की समुचित जानकारी राजकीय विद्यालय वासन को हुई। जिस पर विभागीय अनुमति लेने के पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। जिसमें कोई बदनियति नहीं रही हैं। मौके पर राजकीय विद्यालय माध्यमिक स्तर पर संचालित हो रहा है। जिसमें करीब 312 विद्यार्थियों का नामांकन है। अतः अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. रेस्पोंडेंट अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि मातहत अदालत में अपीलांट को पक्षकार बनाया गया था तथा अपीलार्थी को सम्मन भेजे गए। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इजराय में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को शीघ्र कार्यवाही हेतु पक्षकार बनाया गया है। जिनके मूल वाद में पक्षकार नहीं होने से निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब किया गया है। जो माफी योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट म्याद बाधित है। जो काबिल खारिज है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी अपीलांट एवं ग्राम पंचायत वासन तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति वासन को बतौर प्रतिवादी संयोजित करते हुए बेदखली बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। वादपत्र में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 606 पर ग्राम पंचायत भवन ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन एवं राजकीय विद्यालय भवन गैर कानूनी रूप से बनाने एवं संचालित होने का कथन किया गया एवं इनकी बेदखली हेतु मुख्य अनुतोष चाहा गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा मौके पर राजकीय विद्यालय भवन निर्मित होने, संचालित होने व काबिज होना स्वीकार किया है तथा जिसकी बेदखली हेतु अनुतोष चाहा गया है। लेकिन स्थानीय विद्यालय को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। केवल शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय अपीलांट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संख्या 3 संयोजित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वस्तुतः उसे पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया, जिन्हें बेदखल करवाना चाहा गया है। शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय के अधीनस्थ सैकड़ों राजकीय विद्यालय संचालित होते हैं। स्थानीय राजकीय विद्यालय द्वारा न्यायिक विवादों की स्थिति में नियंत्रण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिकारी जिला स्तरीय कार्यालय को सूचित किया जाकर आवश्यक मार्गदर्शन व पैरोकारी हेतु निवेदन किया जाता है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा स्थानीय काबिज व संचालित राजकीय विद्यालय को पक्षकार संयोजित नहीं करने से अपीलांट जिला स्तरीय कार्यालय को अधीनस्थ न्यायालय में वस्तुतः व सारवान रूप से स्थानीय राजकीय विद्यालय के विरूद्ध जैरकार व निर्णित अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय पारित की गई हैं। प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु विद्यमान है। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुने जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने व विलंबकाल माफी योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ग्राम वासन तहसील रेवदर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 606 में बेदखली हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत वासन प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम सेवा सहकारी समिति वासन तथा प्रतिवादी संख्या 3 जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक सिरोही के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में यह अंकित किया है कि आज से करीब 7–8 वर्ष पहले वादीगण के पिता मानसिंह शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने का फायदा उठाकर वादीगण के पिता की वादग्रस्त आराजी पर अवैध अतिक्रमण कर चारदीवारी परकोटा बनाकर अवैध रूप से ग्राम पंचायत भवन, ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन व विद्यालय भवन बना दिया एवं विद्यालय भवन शिक्षा विभाग को व ग्राम सेवा सहकारी समिति को सुपुर्द कर दिया। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में स्थानीय राजकीय विद्यालय को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। लेकिन स्थानीय राजकीय विद्यालय भवन को बेदखल किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। स्पष्ट है कि प्रकरण में स्थानीय राजकीय विद्यालय आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार था। लेकिन इस पर गौर नहीं करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। जो वस्तुतः प्रकरण के आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार को सुने बिना उसके विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है। जिसे विधिपूर्ण व न्यायपूर्ण निर्णय व डिक्री की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
फालना

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं प्रस्तुत साक्ष्य की समुचित विवेचना किए बिना एवं अपने निर्णय व विनिश्चय का कारण व आधार प्रकट किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के वादपत्रों के प्रकरण में अधिनियम की तृतीय अनुसूची के प्रावधान अनुसार परिसीमा अवधि 12 वर्ष निर्धारित है। अर्थात बेदखली के प्रकरणों में परिसीमा अवधि सारवान रूप से महत्वपूर्ण है तथा अधिनियम द्वारा विहित उक्त परिसीमा अवधि को क्षमा किए जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में परिसीमा अवधि के संबंध में कोई विचारण किए बिना व कोई अभिमत प्रकट किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया है। जो काबिल अपास्त है।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार व वादीगण के पिता अचलाजी वस्तुतः कोली जाति से संबंधित है। जोकि राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति संवर्ग में शामिल है। जबकि प्रतिवादीगण राजकीय संस्थाएं होने से अनुसूचित जाति संवर्ग में नहीं मानी जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधिनियम की धारा 42 बी के उल्लंघन का भी प्रकरण विद्यमान है। साथ ही अनुसूचित जाति संवर्ग के खातेदार की आराजी पर गैर अनुसूचित जाति संवर्ग के व्यक्ति, संस्था आदि द्वारा कब्जे के संबंध में बेदखली की कार्यवाही अधिनियम की धारा 183 में नहीं की जाकर 183 बी के अंतर्गत पोषणीय होती हैं तथा अधिनियम की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 68 (ग) के प्रावधान अनुसार उक्त धारा के अंतर्गत कार्यवाही करने एवं विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय तहसीलदार को प्राप्त है तथा उक्त धारा के अंतर्गत बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए 12 वर्ष नियत है। स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में बेदखली का प्रार्थना पत्र सुनने का एकमेव क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार केवल संबंधित न्यायालय तहसीलदार को ही प्राप्त था। सहायक कलक्टर रेवदर को इस संबंध में धारा 183 के अंतर्गत वादपत्र सुनने व निर्णित करने का कानूनन कोई क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं था। इसके बावजूद उक्त महत्वपूर्ण व सारवान आज्ञापक विधिक स्थिति पर गौर किए बिना विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो वस्तुतः क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है तथा ऐसे प्रकरण आरंभतः शून्य प्रकरणों की श्रेणी में आते हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है। साथ ही चूंकि प्रकरण में सहायक कलक्टर को किसी प्रकार की विधिक/न्यायिक कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के विचारण का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार ही प्राप्त नहीं हैं। अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की आवश्यकता ही नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2007 बअनवान हिरी वगैरह बनाम ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.01.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पाली